

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: खजूरी कलाँ			पटवारी हल्का: खजुरी कला			तहसील: हुजूर			जिला: भोपाल		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगन तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के प्रकार फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1205741619 816Q5CDAFLCBH0	205/1 (S)		0.0930 हेक्टेयर	आर के एन बिल्डिकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संचालक श्री राम कुमार नारवानी आ श्री कन्हैयालाल नारवानी पता शॉप नंबर 10 अपर ग्राउंड प्लॉट नंबर जी 2/113 अमलतास रीजेंसी गुलमोहर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0012/अ-6/2020-21, आदेश दि. 23/04/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0073/अन्य विविध/2021-22, आदेश दि. 09/08/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित प्रकरण क्र.0326/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 24/09/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.205/क से 205/1 में परिवर्तित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1610/अ-6/2021-22, आदेश दि. 22/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
			कृषि								
			रु.12.12								

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।